

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निम्न कार्मिकों के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री पुखराज सोलंकी	08.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) जोधपुर
2	श्री भगवान सिंह राठौड़	04.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
3	श्री मुरलीधर बगडिया	06.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक उधान सीकर
4	श्री ताराचन्द शिवराण	07.07.1958	31.07.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) झुन्झुनू
5	श्री घीसालाल रेगर	01.10.1958	30.09.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) मालपुरा
6	श्री लकमाराम मेघवाल	05.12.1958	31.12.2018	उप निदेशक कृषि (वि0) जि.प. सिरौही

सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जांच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर जारी किया गया जांच प्रमाण- पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करावे।

उक्त आदेश श्रीमान आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।


(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/ 3449-70

दिनांक 28.6.2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक उधान विभाग राज. जयपुर
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जोधपुर/जयपुर/सीकर/जलौर।
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, जोधपुर/टोंक/झुन्झुनू/सिरौही।
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जोधपुर/मालपुरा/झुन्झुनू।
5. सहायक निदेशक उधान सीकर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी पंजिका।


(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)